न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी — नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या — 34/36/2016
सी0आई0एस0 संख्या — 439/2016

1. कल्याणी देवी पत्नी तेजराम निवासी कालैड समरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र बिरदू (फौत आदेश दिनांक 16.03.2026)
2. गुलाब देवी पत्नी किशनलाल
3. रमेश पुत्र किशनलाल
4. गणेश पुत्र किशनलाल
5. मुकेश पुत्र किशनलाल
6. घनश्याम पुत्र किशनलाल

निवासीगण कालैड तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणात्मक एवं हुक्मइम्तनाई

उपस्थिति —

1. श्री के0के0 ।।, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री मोठूराम मीना, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 23.03.2026**

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त शीर्षकाधीन वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाकै ग्राम कालैड पंचायत समरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में मुताबिक सीमा मौका वादीनी का निजी मिलकियत मालिकाना व कब्जे अधिकार का रिहायशी बाडा जिसकी सीमा पूर्व को शिम्भूदयाल की जायदाद, पश्चिम को निकास जायदाद, बाद कन्हैयालाल की जायदाद, उत्तर को छीतरमल की जायदाद व दक्षिण को रामजीलाल की जायदाद स्थित है। विवादित बाडा वादिनी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती है जिसमें आधा हिस्सा वादिनी तथा आधा हिस्सा प्रतिवादीगण का है जिसमें प्रतिवादीगण सी से डी दबाकर बाड लगा रहे हैं। विवादित बाडे में वादिनी अपने पति के जीवनकाल से ही अपने हिस्से में परिवार सहित रहती आ रही है जिसमें वादिनी का पुख्ता कमरा बना हुआ है तथा पास ही पशुओं के ढाण बने

हुए हैं। वादिनी अपना ईंधन, बलीता भी इसी बाडे में डालती है। जिसमें प्रतिवादीगण वादिनी के पुख्ता कमरे के गेट तोडकर कमरे को हटाना चाहते हैं तथा वादिनी को बाडे के आधे हिस्से से निकालने की फिराक में है। वादिनी के हिस्से में प्रतिवादीगण दबाकर बाड लगा रहे हैं। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। गांवों में पुस्तैनी बुजुर्गों के समय से चली आ रही भूमि का पटटा नहीं होता है और ना ही सनद होती है। बिनायदावी दिनांक 18.01.2016 को वादिनी के आधे हिस्से में बाड लगाकर जबरन कब्जा करने पर पैदा हुई है। विवादित बाडे में वादिनी के हिस्से की मालियत 10,000/– रूपये कायम की जाकर कोर्टफीस 250/– रूपये चस्पा की गई है। दावा साधारण रूप से अंदर मियाद पेश है। अंत में वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वादिनी द्वारा वर्णित सीमा का कोई रिहायशी बाडा वादिनी का मौके पर अस्तित्व में नहीं है, बल्कि जो बाडा मौके पर मौजूद है वह प्रतिवादीगण के निजी मिलकियत मालिकाना व कब्जे अधिकार का पटटाशुदा बाडा है। जो बाडा किसी प्रकार से विवादित नहीं है। जिसमें मौके पर दो पुख्ता कमरे बने हुए हैं तथा टीनशैड बना हुआ है एवं कमरा पुराना खण्डर मौजूद है जिसमें प्रतिवादीगण परिवार सहित रिहायशी करते हैं। प्रतिवादीगण के बाडा से वादिनी का कोई संबंध नहीं है। वादिनी बाडे से गैरकाबिज महिला है और गैर काबिज व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। दावा वादिनी ने क्लीन हैंड से पेश नहीं किया है। विवादित बाडा वादिनी व प्रतिवादीगण का शामलाती नहीं है बल्कि अकेले प्रतिवादीगण का निजी मिलकियत मालिकाना का चला आता है। जिस बाडा में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का ग्राम पंचायत समरा द्वारा पटटा संख्या 08, संकल्प संख्या 03, दिनांक 01.12.2001 को जारी किया हुआ है। पटटा के अलावा शेष जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा मालिकाना मौजूद है जिमसें प्रतिवादीगा अपने मवेशी बांधते हैं, चारा फूस, ईंधन, बलीता रखते हैं और रिहायशी बाडा में अपना हक हिस्सा कायम करने की नियत से झूठी कहानी बनाकर पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के हिस्सा पर कब्जा कर बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वादिनी का कोई हिस्सा है ही नहीं। वादिनी को किसी भी तारीख को बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं हुई है। अंत में वादिनी का वाद मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी एवं प्रतिवादीगण के दावा, जबाव दावा, के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2016 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया वादिया वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित विवादित जायदाद, वाकै ग्राम कालेड, पंचायत समरा के 1/2 हिस्से की मालिकाना घोषणा कराए जाने की अधिकारी है ?
2. आया वादिया, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, वादिया के हिस्से के उपभोग उपयोग में बाधा एवं रूकावट ना करे, वादिया के कमरे को ना ढहावे ?
3. अनुतोष

4. उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 कल्याणी के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नजरी नक्शा को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह डी0ड0 1 किशनलाल, डी0ड0 2 रमेश के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 पटटा, प्रदर्श डी 2 दस्तावेज राजीनामा को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस वाद में कायम किए गए विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष बिंदुवार निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 1 व 2</u>

1. आया वादिया वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित विवादित जायदाद, वाकै ग्राम कालेड, पंचायत समरा के 1/2 हिस्से की मालिकाना घोषणा कराए जाने की अधिकारी है ?

2. आया वादिया, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, वादिया के हिस्से के उपभोग उपयोग में बाधा एवं रूकावट ना करे, वादिया के कमरे को ना ढहावे ?

6. उपरोक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं ताकि तथ्यों की पुनरावर्ती ना हो सके। उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त दोनों विवाद्यकों के संबंध में वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि वाकै ग्राम कालैड पंचायत समरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में मुताबिक सीमा मौका वादीनी

का निजी मिलकियत मालिकाना व कब्जे अधिकार का रिहायशी बाडा है। विवादित बाडा वादिनी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती है जिसमें आधा हिस्सा वादिनी तथा आधा हिस्सा प्रतिवादीगण का है जिसमें प्रतिवादीगण सी से डी दबाकर बाड लगा रहे हैं। विवादित बाडे में वादिनी अपने पति के जीवनकाल से ही अपने हिस्से में परिवार सहित रहती आ रही है जिसमें वादिनी का पुख्ता कमरा बना हुआ है तथा पास ही पशुओं के ढाण बने हुए हैं। वादिनी अपना ईंधन, बलीता भी इसी बाडे में डालती है। जिसमें प्रतिवादीगण वादिनी के पुख्ता कमरे के गेट तोडकर कमरे को हटाना चाहते हैं तथा वादिनी को बाडे के आधे हिस्से से निकालने की फिराक में है। वादिनी के हिस्से में प्रतिवादीगण दबाकर बाड लगा रहे हैं। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। गांवों में पुस्तैनी बुजुर्गों के समय से चली आ रही भूमि का पटटा नहीं होता है और ना ही सनद होती है। जिसके खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में यह कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा वर्णित सीमा का कोई रिहायशी बाडा वादिनी का मौके पर अस्तित्व में नहीं है, बल्कि जो बाडा मौके पर मौजूद है वह प्रतिवादीगण के निजी मिलकियत मालिकाना व कब्जे अधिकार का पटटाशुदा बाडा है। जो बाडा किसी प्रकार से विवादित नहीं है। जिसमें मौके पर दो पुख्ता कमरे बने हुए हैं तथा टीनशैड बना हुआ है एवं कमरा पुराना खण्डर मौजूद है जिसमें प्रतिवादीगण परिवार सहित रिहायशी करते हैं। प्रतिवादीगण के बाडा से वादिनी का कोई संबंध नहीं है। वादिनी बाडे से गैरकाबिज महिला है और गैर काबिज व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। दावा वादिनी ने क्लीन हैंड से पेश नहीं किया है। विवादित बाडा वादिनी व प्रतिवादीगण का शामलाती नहीं है बल्कि अकेले प्रतिवादीगण का निजी मिलकियत मालिकाना का चला आता है। जिस बाडा में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का ग्राम पंचायत समरा द्वारा पटटा संख्या 08, संकल्प संख्या 03, दिनांक 01.12.2001 को जारी किया हुआ है। पटटा के अलावा शेष जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा मालिकाना मौजूद है जिमसें प्रतिवादीगा अपने मवेशी बांधते हैं, चारा फूस, ईंधन, बलीता रखते हैं और रिहायशी बाडा में अपना हक हिस्सा कायम करने की नियत से झूठी कहानी बनाकर पेश किया है। पत्रावली पर अवस्थित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0ड0 1 कल्याणी देवी ने अपने शपथ पत्र की ताईद करते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्व ारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि यह बात सही है कि वह अब

5–10 साल से जयपुर में रहती है लेकिन गांव आती जाती रहती है। यह कहना गलत है कि किशनलाल व उसका बाडा अलग अलग हो बल्कि एक ही है। उसका हिस्सा कन्हैयालाल की तरफ आया था। उसका हिस्सा कन्हैयालाल के पास है। यह कहना गलत है कि शिम्भूदयाल की तरफ उनका बाडा हो। जब से उसकी शादी हुई तब से उसी बाडे में रहती है। उक्त बाडे का खसरा नंबर उसे पता नहीं है। विवादित बाडे का उनके पास पटटा नहीं है ना ही उसके ससुर के पास था। किशनलाल ने उक्त बाडे का पटटा बना लिया हो तो उसे पता नहीं है। किशनलाल ने बाडे में दो कमरे व एक टीनशैड डालकर कमरे बना लिये जो उसकी सास को घर से निकालकर बनाये हैं। उसके बट में एक खण्डर घर आया है जो समान उसी घर में है। उसने बाडे के संबंध में कोई लेखपत्र पेश नहीं किया है। राजीनामा की बाबत् लेख लिखा गया था लकिन 50,000/– रूपये में बाडा मोल हो गया था लेकिन उसको पैसे नहीं दिये थे और कहा कि पैसे घर जाकर देंगे। राजीनामा पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। यह बात सही है कि जो राजीनामा लिखा गया वह स्टाम्प उसने खरीदा था। संपत्ति बाबत् उन्होंने राजीनामा कर लिया था लेकिन उसको पैसे नहीं दिये अब लेकिन पैसे का विवाद है, संपत्ति का विवाद नहीं है, लेकिन उसे उसकी संपत्ति दी जाए या उसके पैसे दिये जाए। वादीगण की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादी किशनलाल ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर न्यायालय के समक्ष गवाह डी0ड0 1 के रूप में परीक्षित हुआ है। जिसने अपने द्वारा पेश शपथ पत्र की ताईद करते हुए अधिवक्ता वादी द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कल्याणी शादी के समय से ही विवादित बाडे में रहती हो। यह कहना गलत है कि तेजराम व वह विवादित बाडे में रहते थे। यह कहना सही है कि कल्याणी व उनके बीच विवादित बाडे बाबत् झगडा हुआ था। थाने में बाडे बाबत् दोनों पक्षों ने राजीनामा लिखकर नहीं दिया। उन्होंने थाने में विवादित बाडे बाबत् राजीनामा लिखकर दिया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जो प्रदर्श डी 2 है। विवादित बाडे के उगूणी की तरफ शिम्भूदयाल की जायदाद है तथा विवादित बाडे के आथूणी की तरफ कन्हैया की जायदाद है। विवादित बाडे के की धूजी उत्तर की तरफ रास्ता है। विवादित बाडे की लंका की तरफ रास्ता है। यह बात सही है कि विवादित बाडे की लंका की तरफ रामजीलाल की जायदाद है। यह कहना गलत है कि विवादित बाडे में कल्याणी एक कमरा बना रखी है। यह कहना गलत है कि कल्याणी ने विवादित बाडे में पशुओं के लिए कोई ढांण बना

रखी हो। यह कहना गलत है कि कल्याणी के आधे हिस्से में उन्होंने बाड लगा रखी हो। इसी क्रम में गवाह डी0ड0 2 रमेश ने शपथ पत्र की ताईद करते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कल्याणी ने विवादित बाडे में एक कमरा बना रखा हो। यह कहना गलत है कि कल्याणी विवादित बाडे में ईंधन बलीता डालती हो। वह दिशाओं के बारे में समझता है। विवादित बाडे के दक्षिण में क्या है वह नहीं बता समझता। विवादित बाडे के उत्तर की ओर रोड है और रोड के आगे छीतर की जायदाद है। विवादित बाडे के पश्चिम में भी रोड है। पूर्व में कन्हैयालाल की जायदाद है। विवादित बाडे की बाबत् कोई झगडा नहीं हुआ। बाडे बाबत् राजीनामा नहीं था बल्कि लेनदेन का राजीनामा था। विवादित बाडे बाबत् कोई झगडा नहीं हुआ। उनके जमीन को लेकर झगडा हुआ था जिस बाबत् राजीनामा लिखकर दिया था। यह कहना गलत है कि विवादित बाडा पैतृक बाडा हो। यह कहना गलत है कि उसके पिता विवादित बाडे में रहते हो। यह कहना गलत है कि कल्याणी के आधे हिस्से को दबाने के लिए बाड लगा दी हो। यह कहना गलत है कि बाड लगाने से विवाद हुआ हो।

7. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा वाद घ ोषणात्मक एवं हुक्मईम्नताई का पेश किया गया है जिसमें वादी द्वारा विवादित बाडे के आधे हिस्से का स्वयं को मालिक बताया गया है व प्रतिवादीगण को उसके हिस्से पर कब्जा कर उसको बेदखल करने का कथन किया गया है। जिस संबंध में स्वयं गवाह पी0ड0 1 कल्याणी द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया है कि राजीनामा की बाबत् लेख लिखा गया था लेकिन 50,000/– रूपये में बाडा मोल हो गया था लेकिन उसको पैसे नहीं दिये थे और कहा कि पैसे घ ार जाकर देंगे। राजीनामा पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। यह बात सही है कि जो राजीनामा लिखा गया वह स्टाम्प उसने खरीदा था। संपत्ति बाबत् उन्होंने राजीनामा कर लिया था लेकिन उसको पैसे नहीं दिये अब लेकिन पैसे का विवाद है, संपत्ति का विवाद नहीं है, लेकिन उसे उसकी संपत्ति दी जाए या उसके पैसे दिये जाए। जिस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि वादनी द्वारा किया गया दावा घ ोषणात्मक व हुक्मइम्तनाई का है परन्तु वादिनी अपनी जिरह में विरोधाभासी कथन कर यह अंकित कराती है कि 50,000/– रूपये में बाडा मोल हो गया

था। यदि वादिनी के हिस्से पर अगर प्रतिवादीगण कब्जा कर रहे हैं तो उक्त राजीनामा प्रदर्श डी 2 के संबंध में वादिनी अपनी जिरह में वाद संपत्ति ना बताकर उक्त विवाद पैसे का होना बताती है जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त दोनों विवाद्यक वादी अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में उपरोक्त दोनों विवाद्यक विरूद्ध वादी तय किया जाता है।

8. **अनुतोषः** उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय की गई है। चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

::– आदेश ::–

9. एतद्द्वारा वादी का वाद घोषणात्मक एवं हुक्मईम्तनाई अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर

10. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर